उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1973)

UTTAR PRADESH UNAUTHORISED MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PREVENTION) ACT, 1973

(U.P. Act No. 5 of 1973)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण)[1] अधिनियम, 1973

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1973]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 37, 1975

उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 1982

द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 12 जनवरी, 1973 को संशोधन सहित पारित किया जिसे विधान परिषद् ने दिनांक 18 जनवरी, 1973 को स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जनवरी, 1973 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1973 को प्रकाशित हुआ ।

अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं का संप्रवर्तन करने और उन्हें खोलने तथा उनमें प्रवेश के लिए तथा अध्यापन के लिए फीस लेने को प्रतिषिद्ध करने, और उनसे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अप्राधिकृत चिकित्सा कालेजों को खोलने आदि के लिए शास्ति

2–यदि इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 की धारा 3 में अभिष्ट डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण–पत्र या अन्य लेख्य–पत्र प्रदत्त, स्वीकृत या जारी करने के लिये उक्त धारा के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति :––

(क) किसी ऐसी संस्था को अनुमत करता है, खोलता है, संगठित करता है, उसका अनुरक्षण या प्रबन्ध करता है, जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे;

(ख) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के किसी पाठ्यक्रम में फीस लेकर (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) अथवा बिना फीस के प्रविष्ट करता है अथवा प्रवेश उपलब्ध करता है ; या

(ग) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से व्याख्यान या ट्यूटोरियल के लिये या किसी प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिये कोई प्रबन्ध करता है अथवा यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है; या

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट किसी ऐसी संस्था, पाठ्यक्रम या प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) लेता है; तो उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास का दण्ड अथवा अर्थदण्ड, जो 2,000 रुपये तक हो सकता है दिया जायगा अथवा दोनों दण्ड दिए जाएंगे।

---

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए गजट दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 देखिए।

स्पष्टीकरण–इस धारा में पद ''पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान'' का वही अर्थ है जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट, 1916 में पद 'वेस्टर्न मेडिकल साइंस' को दिया गया है।

24 नवम्बर, 1972 के पूर्व अप्राधिकृत रूप से खुले चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में शास्ति आदि

3–(1) जहां किसी व्यक्ति ने 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व किसी ऐसी संस्था को खोला हो अथवा संगठित किया हो या खोलने या संगठित करने को अनुमत किया हो जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करें तथा पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से शिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में या व्याख्यान अथवा ट्यूटोरियल अथवा प्रयोगों के हेतु प्रबन्धों में विद्यार्थियों को अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) के भुगतान पर प्रविष्ट किया हो एवं उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसी संस्था का अनुरक्षण अथवा प्रबन्ध अथवा ऐसे प्रबन्धों का आयोजन धारा (2) के अधीन दण्डनीय हो गया हो, तो–

(क) एतद्प्रकार प्राप्त अभिदान, दान या फीस अथवा उसको व्यय के बाद बची धनराशि तथा अभिदान, दान या फीस के रूप में प्राप्त धनराशि से ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियां जिनके अन्तर्गत कोई भवन, प्रयोगशालाएं अथवा साज–सज्जा भी है इस अधिनियम के प्रारम्भ से 15 दिन के भीतर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश (जिन्हें आगे इस धारा में निदेशक कहा गया है) के सुपुर्द कर दी जाएगी जो उन्हें एतद्पश्चात व्यवस्थित रीति से वितरण अथवा उपयोग के निमित्त न्यास रूपेण रखेगा।

[1][(ख) उपर्युक्त प्रकार के प्रविष्ट विद्यार्थियों को राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने के लिए विशेष परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जायगा और ऐसा प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा लेने में उपगत व्यय खण्ड (क) में अभिदिष्ट धन में से काट लिया जायगा, और कोई भी विद्यार्थी दिनांक [2][31 मार्च, 1982] को या उसके पूर्व अपने द्वारा भुगतान की गई। धनराशि के अतिशेष की वापसी के लिए निदेशक से आवेदन कर सकेगा, तथा निदेशक उसके ऐसे अंश को जो व्यय के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उनके लिए उपलब्ध हो, लौटा सकेगा।]

[3][(ग) निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों को बेच देगा और 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व ऐसी संस्था खोलने, संगठित करने या चलाने के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा उपगत बकाया दायित्व, यदि कोई हो, का उन्मोचन और ऐसी कार्यवाही करने में उपगत व्यय को चुकाने के पश्चात् उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा।]

(घ) यदि निदेशक द्वारा पूर्वगामी खण्डों के अधीन कार्यवाही करने के उपरान्त कोई धनराशि तथा अन्य सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियां उनके पास बची रहती हैं तो वह उसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण की व्यवस्था से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ उपयोग करेगा;

(ङ) निदेशक ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके समक्ष खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी संस्था अथवा प्रबन्धों अथवा अभिदान, दान या फीस सम्बन्धी कोई लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1975 की धारा 2 द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जाय।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1982 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1982 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) निदेशक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है जिसके सम्बन्ध में निदेशक अथवा ऐसे व्यक्ति का सकारण विश्वास हो कि वहां ऐसी लेखा पुस्तिकायें, रजिस्टर या अन्य लेख्य रखे जाते हैं तथा इस धारा के अधीन किसी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102, 103 तथा 165 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उक्त संहिता के अधीन किसी भी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होते हैं;

(छ) निदेशक किसी ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति को जिसके पास खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रकार की धनराशि जमा की गई हो यह अनुदेश देते हुए नोटिस जारी कर सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी धनराशि का भुगतान न करे, तथा उस व्यक्ति के बजाय उस धनराशि को अधिकारितायुक्त सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करे, तथा यदि वह व्यक्ति, जिसे नोटिस दिया गया हो, ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो उक्त न्यायालय निदेशक द्वारा तदर्थ आवेदन–पत्र दिए जाने पर ऐसे व्यक्ति को उक्त नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने का आदेश दे सकता है, तथा ऐसा आदेश होने पर न्यायालय निष्पादन जारी कर सकता है मानो कि उक्त आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हो तथा ऐसी नोटिस अथवा आदेश के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आर्डर 21 के नियम 133 से 140 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा निदेशक को डिक्रीदार समझा जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी धनराशि अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति निदेशक को उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान करने में अथवा सौंपने में चूक करता है; अथवा

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन यथापेक्षित लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने में चूक करता है; अथवा

(ग) निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने में बाधा डालता है अथवा रोकता हैं ;

तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास के दण्ड से अथवा अर्थ–दण्ड से जो दो हजार रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

4–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति, कोई कम्पनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किए जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित होने का वह उत्तरदायी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् उपाय किए ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो कम्पनी के ऐसे डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण –इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

राज्य सरकार की ओर से परिवाद

5–इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अथवा प्राधिकृत परिवाद के सिवाय संस्थित न हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1972 का निरसन

6–उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

———